हुक्मनामा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा राज0

प्रकरण संख्या : पत्थरगढी 115/2022 दिनांक : 10-5-22

ओमप्रकाश पिता मथुरालाल जी जाति धाकड आयु 42 साल निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0। ......प्रार्थी

//बनाम//

1. दिनेश पिता कमलाशंकर जी जाति नाई आयु वयस्क निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. गोपाल पिता कमलाशंकर जी जाति नाई आयु वयस्क निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
3. देवीलाल पिता नारायण जी जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
4. गोतम पिता गब्बा जी जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मेलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0। ....विपक्षीगण

कार्यवाही धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रेषिती :–

श्रीमान् तहसीलदार, तहसील निम्बाहेडा राज0

जो कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपनी खातेदारी की आराजीयात ग्राम मेलाना प0ह0 मेलाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सरसी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 की खाता संख्या नया 24 जिसके आ0 न0 2130 रकबा 1.0800 हैक्टेयर लगान 5.40 रूपये स्थित है, इस आशय की पत्थरगढी पेश की। साथ में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस पेश की। पत्रावली का अवलोकन कर उस पर विश्वास करते हुए आपको जरिये हुक्मनामा आदेशित किया जाता है कि आप पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पहुंच कर बिना किसी के कब्जे में दखलअन्दाजी किए आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह रोपे व फीस पत्थरगढी रूपया 500/– प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करावें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 9-06-22 को पेश करे।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 10.5.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)